GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
**LOK SABHA**
**UNSTARRED QUESTION NO. 511**
TO BE ANSWERED ON 09th December, 2022

**REPRESENTATION OF EX-SERVICEMEN IN GOVERNMENT DEPARTMENTS**

511. SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR:

SHRIMATI SANGEETA AZAD:

SHRI JAYADEV GALLA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the total number of ex-servicemen recruited in Government jobs during the last five years, year-wise along with the reservation quotas or targets for their recruitment in various Government Departments and Public Sector Institutions;

(b) the details of working vis-a-vis vacancy percentage of the total mandated reserved jobs for Ex-servicemen (ESM) in Government Departments and Public Sector Institutions along with the specific steps taken by the Government to fill these high number of vacancies, Department-wise;

(c) whether an impact evaluation analysis has been conducted to assess the success of such interventions by the Government, if so, the details thereof;

(d) the number of ESMs got placement who enrolled in the DGR Resettlement Training/Skill Courses; and

(e) the details of widows of officers and JCOs/ORs enrolled and placed post DGR Resettlement Training/Skill Courses?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) to (c): The existing quota of reservations available for Ex-Servicemen (ESM) is as follows:

- Public Sector Banks (PSBs) and Central Public Sector Undertakings (CPSUs):

  i. 14.5% in all Direct Recruitment Group ‘C’ Posts.
  ii. 24.5% in all Direct Recruitment Group ‘D’ Posts.

(Including 4.5% for Disabled ESM and dependents of Service personnel killed in action)

- Central Civil Services & Posts (CCS&P) of Central Government Ministries/ Departments and Central Armed Police Forces (CAPFs):

https://www.staffnews.in

i. 10% in all Direct recruitment posts upto the level of Assistant Commandant in Central Armed Police Forces (CAPFs).
ii. 10% in all Direct Recruitment Group 'C' Posts.
iii. 20% in all Direct Recruitment Group 'D' Posts.

- 100% in Defence Security Corps.

Reservation for ESM is against direct recruitment vacancies only, number of which is worked out by the appointing authority, as and when recruitment process is initiated.

As per available data, year-wise recruitment of ESMs during last five years, as on 31.12.2021, is as follows:

| Year | Number of ESMs |
|---|---|
| 2017 | 5638 |
| 2018 | 4175 |
| 2019 | 2968 |
| 2020 | 2584 |
| 2021 | 4343 |

No independent assessment has been done. However, for the purpose of improving number of recruitments of ESMs, advisories have been issued, from time to time, to all concerned Department/CPSUs/Banks/State Governments for conducting special drive to fill up backlog of vacancies reserved for ESM and for adoption of relaxed standards of qualifications for their recruitment. Liaison Officers have also been appointed in various Departments/PSUs/Banks to ensure implementation of reservation policy for ESM.

(d): Total number of personnel enrolled in the DGR for Resettlement Training/Skill Courses during the last 05 years (2017-18 to 2021-22) is as under:

| Financial Year | Number of personnel enrolled |
|---|---|
| 2017-18 | 7904 |
| 2018-19 | 6463 |
| 2019-20 | 6626 |
| 2020-21 | 644 |
| 2021-22 | 4240 |
| **Total** | **25877** |

Trainees after completion of training/course are not reporting back when they secure a placement, as such these numbers are not being separately maintained.

(e): During last five years only one widow of officer was enrolled for Resettlement Training Course and nobody got enrolled from JCOs/OR.

https://www.staffnews.in

*****

**भारत सरकार**
**रक्षा मंत्रालय**
**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 511**
**09 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए**

## सरकारी विभागों में भूतपूर्व सैनिकों की भागीदारी

**511. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:**
**श्रीमती संगीता आजाद:**
**श्री जयदेव गल्ला:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी नौकरियों में भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है और विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में उनकी भर्ती के लिए आरक्षण कोटा कितना है या लक्ष्य क्या है;

(ख) सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए कुल अनिवार्य आरक्षित नौकरियों की रिक्त पड़े पदों की तुलना में कार्यरत ईएसएम का ब्यौरा क्या है और बड़ी संख्या में रिक्त पड़े इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा विभाग-वार क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता का आकलन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) डीजीआर पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल पाठ्यक्रमों में नामांकित ईएसएम की संख्या कितनी है जिन्हें नियोजित किया गया है; और

(ङ) डीजीआर पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल पाठ्यक्रम में नामांकित और नियुक्त किए गए अधिकारियों और जेसीओ/ओआर की विधवाओं का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)**

**(क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए उपलब्ध आरक्षण का मौजूदा कोटा निम्नानुसार है:**

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) :
  - सभी सीधी भर्ती समूह 'ग' पदों में 14.5%
  - सभी सीधी भर्ती समूह 'घ' पदों में 24.5%

https://www.staffnews.in

(विकलांग ईएसएम और कार्य के दौरान मारे गए सेना कार्मिक के आश्रितों के लिए 4.5% सहित)

- केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभाग के केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पद (सीसीएस एंड पी) और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) :
  - i. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में असिसेंट कमानडेन्ट के स्तर तक सभी सीधी भर्ती पदों में 10%
  - ii. सभी सीधी भर्ती समूह 'ग' पदों में 10%
  - **iii.** सभी सीधी भर्ती समूह 'घ' पदों में 20%
- रक्षा सुरक्षा कोर में 100% ।

ईएसएम के लिए आरक्षण केवल सीधी भर्ती रिक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी संख्या को नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जब भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाती है तैयार किया जाता है ।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध डाटा के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की वर्ष-वार भर्ती का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

| वर्ष | ईएसएम की संख्या |
|---|---|
| 2017 | 5638 |
| 2018 | 4175 |
| 2019 | 2968 |
| 2020 | 2584 |
| 2021 | 4343 |

कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की संख्या में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/राज्य सरकारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने हेतु विशेष अभियान आयोजित करने और उनकी भर्ती हेतु अर्हताओं के रियायत मानकों को अपनाने के लिए समय समय पर एडवाईजरी जारी की गई हैं । भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ।

(घ) पिछले 05 वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2021-22) के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल पाठ्यक्रमों के लिए डीजीआर में नामांकित कार्मिकों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

| वित्त वर्ष | नामांकित कार्मिकों की संख्या |
|---|---|
| 2017-18 | 7904 |
| 2018-19 | 6463 |
| 2019-20 | 6626 |

| | |
|---|---|
| 2020-21 | 644 |
| 2021-22 | 4240 |
| **कुल** | **25877** |

प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद जब प्रशिक्षुओं को नौकरी मिल जाती है, तो वे वापिस रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन संख्याओं को अलग से नहीं रखा जा रहा है ।

(ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल एक अफसर की विधवा ने पुनर्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया था और जेसीओ/ओआर से कोई भी नामांकित नहीं हुआ ।

********

https://www.staffnews.in